फर्द अहकाम

(नियम 26)

फर्द अहकाम

अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर

किस्म मुकदमा रेफरेन्स नम्बर 02/2013

सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम चन्द्रकान्त वगै0

अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नाम्बर व तारीख आहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15–01–25	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। रेफरेन्स के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है– तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 एव 82 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण व खिलाफ नामान्तकरण संख्या 532 बाके कस्वा भरतपुर चक नम्बर 01 भरतपुर आराजी खसरा नम्बर 484 रकवा 2–10 विस्वा बाके कस्वा चक नं.01 भरतपुर द्वारा अप्रार्थी को नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई खातेदारी को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया था। उक्त रेफरेन्स नम्बर 13/2002 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की जाकर विधिवत सुनवाई करते हुये इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.7.2004 से रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया गया कि :– "…….कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी के हक में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज पट्टेदार साल एक व उसके आधार पर अवैध एवं आधारहीन तथा बिला सक्षम आज्ञा ना.क. के दर्ज गैर खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जावे तथा अवैध एवं आधारहीन इन्द्राज गैरखातेदारी के आधार पर स्वीकृत ना.क.स. 532 बाके कस्वा भरतपुर चक नं. एक को अधिकार क्षेत्र के बाहर एव प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी ख.न. 404 रकवा 2–10 बाके कस्वा भरतपुर को पूर्व की भांति राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे……।" माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज रेफरेन्स/एल. आर./1532/2006/जिला भरतपुर/ उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम श्री चन्द्राकांत बल्द रासबिहारी बहमचारी (ब्राहम्ण) साकिन अटलबन्ध भरतपुर जिला भरतपुर में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 12.2.2013 के पैरा–7 में कथन किया है कि :– "……पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना दिनांक 8.6.04 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी चन्द्राकांत द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत किया था। जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय	

जिला कलेक्टर
भरतपुर

दिनांक 15.7.04 में अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र कोई निष्कर्षाकंन नहीं किया है। अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी पर उसका कब्जा नहीं है। विवादित आराजी को भूमि अवाप्ति अधिकारी भरतपुर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड भरतपुर के लिये दिनांक 3.9.86 को अवाप्त कर पंचाट पारित कर दिया गया है। अवाप्ति के बाद से विवादित आराजी अप्रार्थी के कब्जे से प्राप्त कर पीएचईडी द्वारा कब्जा ले लिया गया है तथा वर्तमान में पीएचईडी विभाग का ही कब्जा है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.01 को भूमि अवाप्त होने के पश्चात जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अवाप्ति के बाद से विवादित आराजी पर पीएचईडी विभाग का ही कब्जा है। उक्त तथ्य न्यायालय जिला कलेक्टर भरतपुर के समक्ष दृष्टिगोचर होने के बावजूद उनके द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड भरतपुर को पक्षकार बनाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई और रेफरेंस मंडल में स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया। जबकि उनसे यह अपेक्षित था कि वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड भरतपुर को पक्षकार बनाते हुये उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते, क्योंकि वह एक आवश्यक पक्षकार है। जिला कलेक्टर द्वारा जन स्वस्थ्य अभियांत्रिक विभाग को पक्षकार नहीं बनाया । ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार योग्य नहीं है..... ।''

निर्णय के पैरा नं. 8 में अंकित किया है कि '–

> ''..... उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत रेफरेन्स अस्वीकार किया जाकर जिला कलेक्टर भरतपुर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड भरतपुर को प्रकरण में पक्षकार बनाते हुये तथा सभी पक्षकारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, यदि आवश्यक समझें तो सभी आवश्यक दस्तावेजात व स्पष्ट निष्कर्ष के साथ रेफरेन्स नवीनत' प्रस्तुत करें..... ।''

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2013 के साथ पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड भरतपुर को प्रकरण में पक्षकार बनाते हुये तथा सभी पक्षकारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12.2.2013 का अध्ययन किया गया।

जिला कलेक्टर
भरतपुर

पत्रावली में उपलब्ध जबाब अप्रार्थी पर गौर किया गया। अप्रार्थी ने अपने विस्तृत जबाब की मद नम्बर 7–(उजरात मजीद) में कथन किया है कि ".....ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार भरतपुर ने बिना रिकार्ड देखे व मौके की जांच किये न्यायालय श्रीमान के समक्ष बिना किसी आधार के प्रार्थी को तंग एवं परेशान करने की गर्ज से प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी से भूमि, भूमि अवाप्त अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ती अधिकारी) की हैसियत से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड भरतपुर के लिये अवाप्त कर कब्जा प्रार्थी से ले लिया और वर्तमान मे पिछले 16 सालों से प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है बल्कि राज्य सरकार के पी.एच.ई.डी खण्ड भरतपुर का कार्यालय आदि बने हुये हैं। आज की तारीख में प्रार्थी कोई खातेदार काश्तकार नहीं है.....।"

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति (अप्रमाणित) नकल फैसला दिनांक 3.9.86 भू0अवा0/1985 (1) बाबत अटलबन्द पर नई पानी की टंकी हेतु भूमि अवाप्ती कार्यवाही सम्बन्धी पत्रावली न्यायालय भूमि अवाप्ती अधिकारी (एस.डी.एम.)भरतपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 404 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा भूमि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग खण्ड भरतपुर के लिये अवाप्त की जाकर अप्रार्थी को मुआवजा दिया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी नं. 2 ने भी विवादित आराजी पर जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिक विभाग खण्ड भरतपुर के कार्यालय वगे0 बने हुये जाहिर किया है, तथा अप्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी की खातेदारी नहीं है। विवादित आराजी अवाप्त की जाकर जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिक विभाग खण्ड भरतपुर के कार्यालय वगे0 बने हुये हैं। अस्तु तहसीलदार भरतपुर द्वारा विवादित आराजी को लेकर किये विचाराधीन रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निणर्य आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर